



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032020-218609  
CG-DL-E-12032020-218609

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 913]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2020/फाल्गुन 16, 1941

No. 913]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2020/PHALGUNA 16, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

का.आ. 1017(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिला में स्थित है और 73.69 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, क्षेत्र में उच्च जीवजंतु और वनस्पति विविधता जैविक प्रांत “दक्कन प्रायद्वीप क्षेत्र के 6 बी- केंद्रीय पठार” का प्रतिनिधित्व करता है और जंगली पशुओं की बृहत् संख्या, 75 पक्षी प्रजातियों और अन्य जैव-विविधता जैसे सरीसृप, अथोरोपोड्स, कवक आदि को आश्रय प्रदान करता है;

और, क्षेत्र के वनस्पति प्रकार क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ दक्षिणी उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत और इस क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजाति सागौन है जिसमें प्रजातियाँ जैसे अचार, (बुचेनिया लजानन, स्प्रेंग), ऐन / साजा (टर्मिनलिया टोमेंटोसा, डब्ल्यू. एंड ए.), अली (मोरिंडा टिनक्टोरिया), अमलतास (कैसिया फिस्टुला), अमता (बाउहिनिया मालाबारिका, रोक्सब.), अओला, आवला (इम्बेलिका ऑफिसिनैलिस, लिन्न.), अष्टा (बाउहिनिया रेसमोसा, लामक.), अर्जुन (कुहू) (टर्मिनलिया बेल्लेरिका), बेहेडा (टर्मिनलिया बेल्लेरिका, बॉक्सब.), बीबा (भीलवा) (सेमेकारपस एनाकार्डियम), बिजा (पर्तोकार्पस मार्सुपियम), बेर / बोर (ज़िज़िपस मौरिटिअना, लामक.), चंदन (संतालुम एल्बम), चिचवा (एल्बिजिया ओडोरातिसीमा), चिंच (टैमारिडस इंडिका), दहिबारस (कॉर्डिया मैकलोडी), धौउडा/धवाड़ा (एनोगेइसस लैटिफोलिया, वाल्ल.), धामन (ग्रेविया टीलिफोलिया, वाल्ल.), धोबन (डालबर्गिया पैनकिलाटा, रोक्सब.), घोटी/घोटबोर (जिजफस जिलोपारा, यिल्ड.), हल्दु (एडिना कॉर्डिफोलिया), हिवार (अकैशिया लेउकोफिइया, वाइल्ड.), हिंगन (बालेनिटेस केगयपतिया, डेल.), जामुन (सिज़ेगियम क्यूमिनि, लिन्नस.स्कीलस.), करंज (पोंगामिया पिन्नता), करू (कासिया स्यामिया), खैर (अकैशिया कटेचु, वाइल्ड.), कुसुम (स्लेइचीरा ओलेओसा), लेंडिया/सेहना (लागेरस्ट्रोमिया परविफ्लोरा, रॉक्सब.), नीम (अज़ादिरचता इंडिका. लिन्न), मोहा (माहूवा) (मधुका लॉगिफोलिया), मोयेन (मूवाइ) (लानिया कोरोमंडलिका), पीपल (फिकस रेलिगिओसा), पलास (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, लामक), साग / सागवान / सागौन (टेक्टोना ग्राडिस), साजा (एइन) (टर्मिनलिया अलाटा), सिरस (सफ़ेद) (एल्बिजिया प्रोकेरा), सलाई (बोस्वालिया सेराटा, रॉक्सब), सिस्सो (डालबर्गिया सिस्सो), सीताफल (डालबर्गिया सिस्सो), तेंदू (डायोस्पायरस मेलानोक्सिलोन, रोक्सब), टिवासा (तिनसा) (ओगेनिनिया ओजिनैसिस), आदि शामिल हैं और संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ मुख्य झाड़ियां हैं जिसमें कूदा (इस्चामम पिलोसम), बहावा (कैशिया फिस्टुला), अपटा (बउहीनिया रेकेमोसा), निर्गुडी (विटेक्स नेगुंडो), बाहाराती (गयमनोस्पोरिया स्पिनोसा) शामिल हैं। वन के अंतर्गत घासों जैसे मार्वल (एंड्रोपोगोन एनालाटस), गोंडेल, पवनया, (स्विमा सुलकेतुम), आदि हैं;

और, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य जीवजंतु हनुमान लंगूर (प्रेसवाइट्स इंटेल्स, डूप.), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस, गुल्ड.), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), सामान्य नेवला (हर्पेस्टेस एडवर्ड्स, गेओ.), धारीधार लकड़बग्घा (ह्येना ह्येना, लिन्न.), भेडिया (कैनिस लुपुस, लिन्न), बनैला सूअर (सस स्क्रोफ़ा), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), फुलवौस फ्रूट बात (रोउसेट्टस लेस्चेनाउलटी, डेस.), श्री स्ट्रिपेड पाम गिलहरी (फुनाम्बुलुस पालमारूम, लिन्न.), भारतीय फिडलड मिके (मुस बूडुगा, ग्रेय.), सामान्य हाउस रेट (रट्टुस रट्टुस, लिन्न.), बांडिकूट रेट (बांडिकोटा इंडिका, बेच.), भारतीय साही (ह्यस्ट्रिक्स इंडिका, केर.), रूफूड फोस्टाइलेंड खरगोश (लेपुस निगरीकोल्लिस कुव.), ब्लू बुल / नीलगाय (बोसेलाफस ट्रागोसेमेलस, पाल्ल.), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), इरक्स.), मुंजक (मुनटीक्स मुनतजक, जिम्म.), भारतीय बनैला सूअर (सस स्क्रोफ़ा, लिन्न.), भारतीय साल (मानिस क्रैसिकाउडाटा, ग्रेय.), आदि अभिलिखित हैं;

और, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य पक्षी-जीव ग्रे बगुला (अरदेया किनेरिया), तालाब बगुला (अरदेओला गरायी), मवेशी इग्रेट (बुबुलकुस इबिस), लिटिल इग्रेट (एग्रेटा गारज़ेटा), लिटिल कॉमरेंट (फेलाक्रोसैक्स निगर), ओपन बिल्ड स्टॉर्क (अनासटोमस ओस्किटनस), वाइट नेकड स्टॉर्क (सिसोनिया एपिस्कोपस), काला इबिस (पसेउडीबीस पपिल्लोसा), ब्राह्मणी बत्तख (टडोर्ना फेरुगिनिया), ब्लैकविंगड काइट (इलानस केइरूलेउस), शिकरा (एक्सीपिटेर बाडीउस), ग्रे तीतर (फ्रैंकोलिनस पॉन्डिसरियस), सामान्य मटरमुर्गा (पावो क्रिस्टेटस), डेमोइसेल्ला क्रेन (एंथोरपोइदेस विर्गो), रेडवाटलड लैपविंग (वनेल्लुस इंडिकस), सामान्य सैंडपिपेर (ट्रिंगार हाइपोलुकोस), वाइट ब्रेस्टेड वाटरहेन (अमानरोर्निस फोइनिकरूस), ब्लैक-विंगड स्टिल्ट (हिमांतोपुस हिमांतोपुस), ब्लू रॉक कबूतर (कोलुम्बा लिविया), भारतीय रिंग कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया डेकओकटो), रेड टर्टल कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया), स्पोट्टेड

कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया किनेंसिस), ग्रीन कबूतर (ट्रेरोन फोइनिकोपेटेरा), अलेक्जेंड्रिन पराकेट (पसिट्टाकुला यूपटरिया), रोज-रिंगड पाराकीट (पसिट्टाकुला करामेरी), ब्लॉसम-हेडेड पाराकीट (पसिट्टाकुला कयनोसेफला), ब्रेन फीवर बर्ड (कुकुलुस वरिओउस), क्रो -तीतर (सेंट्रोपस साइनेंसिस), चितकबरा किंगफिशर (केरयले रूडीस), वाइट-ब्रेस्टेड किंगफिशर (हैलियोन स्माइरेन्सिस), छोटा ब्लू किंगफिशर (हैलिसन एथिस), छोटा ग्रीन बी-ईटर (मेरोपस ओरिइंटलिस), चिस्तनुत हेडेड बी-ईटर (पेरोप्स लेचनोवाली), भारतीय रोलर (कोरैकियस बेंगालेंसिस), हूपो (उपुपा इपोपा), भारतीय निघटजार (कपरिमुल्युस एशियाटिकस), भारतीय ग्रे हॉर्नबिल (टोकुकुस विरोस्ट्रीस), कोप्पेरस्मिथ (मेगालाइमा हेमाचेफाला), गोल्डन-बैकेड कठफोडवा (डिनोपिउम बेंगालेंसे), येलो-फ्रॉटेड विचित्र कठफोडवा (पिकोइडेस महाराट्टेंसिस), पिगमय कठफोडवा (पिकोइडेस ननुस), रेड-विंगड बुश लार्क (मिराफेरा एरीथ्रोप्टेरा), क्रेस्टेड लार्क (गलेरीदा क्रिस्टता), रूफोस्टाइलेंड फिच लार्क (अम्मोमानस फोइनिकरूस), विरटैलेड स्वालो (हीरून्दो स्मिथी), ग्रे श्रीके (लनिउस इक्कुबिटर), बे-बैकेड श्रीके (लनिउस विटाटुस), रूफोउस- बैकेड श्रीके (लनिउस स्काच), ब्लैक ड्रांगो (डिकुरुस अडसिमिलिस), ब्लैक-हेडेड मैना (स्टरनुस पगोडारिम), विचित्र मैना (स्टरनुस कोंटरा), भारतीय मैना (अरीडोथेरेस), भारतीय ट्री पिड (डेंड्रोसिट्टा वागबुंदस), लोरा (एगिथिना तिपहिया), रेड-वेंटेड बुलबुल (पिक्रोतोउस काफेर), मागपिया रोबिन (कोप्चुस सउलारिस), भारतीय रोबिन (सेक्सिकोलाइडेसफुलिकता), ब्लैक रेडस्ट्रारक (फोइनिकुरुस), ब्राउन रॉक चाट (क्रेसोमेला फुस्का), जंगल बब्ब्लर (तुरडोइडेस स्ट्रिएटस), पैराडाईड फ्लाइकैचर (टेरिसिपोन पैराडाइस), वाइट-स्पोट्टेड फनटैल फ्लाइकैचर (फिपिदुरा अलबिकोल्लिस), टेलर बर्ड (ओर्थोटोमस सुटोरियस), डुल्ल-ग्रीन लीफ वार्बलर (फीलोस्कोपस ट्रिकिलोइडस), थिक-बिल्लेड वार्बलर (आक्रोसेफालुस अइडोन), येलो-हेडेड वैगटेल (मोटाकिल्ला किटेरोला), चितकबरा वैगटेल (मोटाकिल्ला किनेरिया), वाइट और चितकबरा वैगटेल (मोटाकिल्ला अलबा दुखुनेन्सिस), येलो वैगटेल (मोटाकिल्ला फलावा), पर्ल-रुमपैड सनबर्ड (नेक्टारनिअ जेलोनिका), पर्पल सनबर्ड (नेक्टारनिया एशियाटिक), वाइट थ्रोटेड मुनिया (लोनचुरा मालाबरिका), ब्लैक हेडेड बंटींग (इमबेरिजा मेलोनोकेफाला), चित्तीदार उल्लू (एठने ब्रमा), स्कारलेट मिनिवेट (पेरिकरोकोटस फलाम्मेउस), आदि पाए जाते हैं;

और, अभयारण्य में तितलियों और मकड़ियों की प्रजातियां स्पॉट स्वोर्डटेल (पाथिसा नोमिउस), क्रिमसन रोज (टरोस हेक्टर), सामान्य रोज (टरोस अरिस्टोलोचिए), ब्लूस मोरमोन (पपिलिओ पॉलीमनेस्टोर), सामान्य मोरमोन (पपिलिओ पोलयटेस), लाइम बटरफ्लाई (पपिलिओ डेमोलेउस), सामान्य मिमे (चिलसा सिल्टिया), सामान्य जजेबेल (डेलीस यूचरिस), पिओनिर (अनाफेइस ओरोटा), वाइट ऑरेंज टीप (लक्सिसअस), येलो ऑरेंज टीप (लक्सिसअस पैरेना), ग्रीन ऑरेंज टीप (हेबोमोइया गलाउकिप्पे), सामान्य गुल्ल (केपोरा नेरिस्सा), सामान्य इमिग्रॉंट (कैटोप्सिलिया क्रोकेल), मोटेड इमीग्रेंट (कैटोपिसिया पाइरन्थे), स्पोटलेस्स ग्रास्स येलो (टेरिअस लेता), सामान्य ग्रास येलो (टेरिअस हेकाबे), सामान्य अकाकिया ब्लू (सूरेंद्रा क्रेसेंटोरूम), सामान्य भारतीय रेड फलास (रापाला मेलाम्पुस), सामान्य पिएर्रोत (कस्टालिउस रोसिमोन), ग्राम ब्लू (यूक्रिस्टॉप्स कनेजस), सामान्य सेरुलियन (जामिदेस केलेना), ग्रास जवेल (फरेयेरिया टरोचिलुस), सामान्य हेज ब्लू (अकेटोलेपिस पुस्पा), सामान्य बुश ब्राउन (मैकलेसिस पेरसेउस), डार्क बैंड बस ब्राउन (मैकलेसिस मिनेउस), सामान्य फिवेरिंग (यपथिमा बाल्डस), निगोर (ओरसोटरिओनिया मेडस), तवनय राजाह (चरक्स पॉलीक्सेना), ब्लैक राजाह (चरक्स फेबियस), बैरोनेट (यूथालिया नइस), कम्मांडर (मोदुजा प्रोकरीस), ग्रेट इग्गफ्लाय (हायपोलिमनास बोलिना), डानइड इग्गफ्लाय (हायपोलिमनास मिसिप्पुस), येलो पैन्सी (पेरकिस हिइरग्रेट), ग्रेय पंसय (पेरकिस अटलितेस), अंगलेडकास्टर (इरगोलिस अरियादेन), तावन्य कोस्टर (टेलचिनिया विओलाइ), पलाइन बाघ (डनाउस चरयसिप्पुस), सामान्य क्रौ (यूप्लोइया कोर), सामान्य बैंडेड अवल (हसोरा एलेक्सिस), सामान्य अवल (हसोरा बाद्रा), डार्क पाल डार्ट (एस्टचस पायथियस), ग्रास डेमोन (उदासपस फुलुस), भारतीय स्क्रपर (स्पिअलिया गलबा), सामान्य रेडया (मातापा अरिया), सामान्य डार्टलेट (ओरिंस गोलोइडेस), ब्लैक स्विफ्ट (कलटोरिस कुमारा), वॉल ऑर्ब (ऐरनस विलुनिफर), लीफ रिट्रीट ऑर्ब (नेओस्कोना रूमफी), गेंट वुड स्पाइडर (नेफिला मैकुलाटा), ब्लैक वुड स्पाइडर (नेफिला कुहली), येलो क्लब (चिरकेनथियम मेलानोस्टोमा), एशिअ सोशल स्पाइडर (स्टेगोडिफस सारासिनोरूम), फनेल भेडिया (हिप्पासा एगोलेओइडेस), टन्नल भेडिया (लाइकोसा इंडैगेट्रिक्स), जेबरा जमपर (प्लेक्सिपस पेकुल्ली), लॉन्ग-लेग्गड स्ट्रॉव (इयक्टा जवाना), आदि उपलब्ध हैं;

और, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी

संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

**अतः,** अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला अकोला और वाशिम के महाराष्ट्र राज्य में काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 2.50 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

**1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 2.50 किलोमीटर तक विस्तृत होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 41.81 वर्ग किलोमीटर है।

कुछ निजी भूमि क्षेत्रों में काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी भाग पर काटेपूर्णा बांध का तट और दीवार, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के पश्चिम भाग पर अकोला- मंगरूलपीर और देवदारी-धनोरा सड़क और काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण-पूर्वी भाग पर पुर ग्राम की सीमा के कारण पारिस्थितिकी संवेदी का विस्तार 'शून्य' है।

(2) काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकन दर्शाते हुए काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIग और उपाबंध-IIघ** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं पर प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची और उनकी विधि स्थिति उनके भू-निर्देशांकों के साथ **उपाबंध-IVक और उपाबंध-IVख** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**-(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;

- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और निवास किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.**- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.**- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.**- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

#### सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।



2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:  परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:  परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी

		<p>जाएगी।</p> <p>परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों, नियमों और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

	बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	
22.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पवनचक्की और टरबाइन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	नए होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>ग.संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
31.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

	की बहाली।	
41.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात :-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, अकोला	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	जिला कलेक्टर, वाशिम के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, अकोला और वाशिम	सदस्य;
(iv)	पर्यावरण के क्षेत्र (विरासत संरक्षण सहित) में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है	सदस्य;
(v)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(viii)	शहरी योजना अधिकारी, अकोला और वाशिम	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, अकोला वन प्रभाग	सदस्य-सचिव।

**6.विचारार्थ विषय:-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/36/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'


उपाबंध- I

**महाराष्ट्र राज्य में काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा विवरण**

दिशाएं	सीमा विवरण
उत्तर	अकोला वन संभाग – 0 से 2500 मीटर वन एवं गैर-वन क्षेत्र वास्तापुर उप-सड़क के साथ, काटेपूर्णा जलाशय बांध रेखा, कम्पार्ट सं.134 की सीमा।
पूर्व	अकोला वन संभाग – 0 से 2500 मीटर वन एवं गैर वन क्षेत्र वास्तापुर ग्राम की क्र.सं: 43,23,24,47,35,36 का पूर्वी भाग वई ग्राम की क्र.सं.9, महान से शेलू सड़क के साथ, कम्पार्ट सं.120 की सीमा, भूर और पूर ग्राम की सीमा पूर्वी भाग, येदशी ग्राम के क्र.सं.19 का पूर्वी भाग।
दक्षिण	अकोला वन संभाग – 0 से 2500 मीटर वन एवं गैर वन क्षेत्र कम्पार्ट सं. 116,110,109, की सीमा, जोगलडेरी से पिम्पलशेंदा सड़क के साथ एवं पिम्पलशेंदा नाला के साथ।
पश्चिम	अकोला वन संभाग – 0 से 2500 मीटर वन एवं गैर वन क्षेत्र काटेपूर्णा नदी के साथ, कम्पार्ट सं. 125 की सीमा, देवदारी-वरखेड-कोथली-जमभरून-चौफुल्ला सड़क के साथ।

उपाबंध- II क



मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ और काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के वन और गैर वन क्षेत्र को दर्शाने वाला मानचित्र






उपाबंध- II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ और काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के वन और गैर वन क्षेत्र को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-IIग


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र





उपाबंध-11घ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## उपाबंध- III

सारणी क: काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

नोड बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	77:08:12.90	20:27:55.20
2	77:08:24.30	20:26:39.50
3	77:08:54.30	20:24:33.60
4	77:08:33.60	20:22:49.30
5	77:08:23.70	20:22:12.30
6	77:09:45.00	20:21:46.90
7	77:11:31.07	20:22:12.80
8	77:11:45.70	20:23:58.30
9	77:10:59.19	20:25:58.08
10	77:10:29.30	20:27:49.10

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

नोड बिंदु	देशांतर	अक्षांश
ए	77:09:56.80	20:28:40.30
बी	77:09:02.70	20:29:06.50
सी	77:08:30.60	20:28:54.08
डी	77:07:42.10	20:29:04.70
ई	77:07:37.90	20:28:38.10
एफ	77:07:38.90	20:27:33.18
जी	77:08:06.80	20:26:19.30
एच	77:08:32.90	20:25:10.70
आई	77:08:16.70	20:23:53.08
जे	77:07:01.30	20:23:51.54
के	77:07:25.50	20:22:52.80
एल	77:08:13.70	20:21:48.70
एल	77:08:42.10	20:21:13.00
एन	77:09:37.20	20:20:49.80
ओ	77:09:46.50	20:21:23.80
पी	77:11:12.80	20:21:43.30

क्यू	77:12:43.20	20:21:44.10
आर	77:12:10.40	20:22:38.70
एस	77:12:42.60	20:23:15.30
टी	77:12:06.50	20:24:40.10
यू	77:11:48.90	20:25:26.18
वी	77:10:50.10	20:27:23.30
एक्स	77:10:50.60	20:28:13.50
वाई	77:10:23.40	20:28:39.60

## उपाबंध- IIIक

भू-निर्देशांकों के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	नोड बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	देवधारी	बरशीताकली	अकोला	ए	77:08:42.90	20:26:06.00
2	धनोराल	बरशीताकली	अकोला	बी	77:08:46.60	20:24:02.80
3	पिम्पलशेंदा	मालेगांव	वाशिम	सी	77:08:03.30	20:22:06.40
4	जनुना	मंगरूलपीर	वाशिम	डी	77:11:06.00	20:22:11.70
5	कीन्हीराजा	मालेगांव	वाशिम	इ	77:09:48.40	20:20:02.20
6	येदशी	मंगरूलपीर	वाशिम	एफ	77:12:38.20	20:22:05.40
7	पुर	मंगरूलपीर	वाशिम	जी	77:12:11.70	20:23:56.10
8	भूर	मंगरूलपीर	वाशिम	एच	77:12:46.40	20:23:15.90
9	वनोजा	मंगरूलपीर	वाशिम	आई	77:13:10.30	20:24:54.20
10	तंडालि	मंगरूलपीर	वाशिम	जे	77:11:39.00	20:26:07.50
11	वाघा कड	बरशीताकली	अकोला	के	77:11:05.00	20:26:35.00
12	वास्तापुर	बरशीताकली	अकोला	एल	77:10:53.10	20:28:01.50
13	वाइ	बरशीताकली	अकोला	एम	77:10:01.50	20:28:37.30
14	जमभरून	बरशीताकली	अकोला	एन	77:07:57.20	20:28:34.70
15	कोथाली	बरशीताकली	अकोला	ओ	77:07:53.40	20:27:22.40
16	सताली	बरशीताकली	अकोला	पी	77:08:41.90	20:28:25.30
17	वारखेड	बरशीताकली	अकोला	क्यू	77:08:24.20	20:27:00.00

## उपाबंध- IIIख

भू-निर्देशांकों के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की वैधिक स्थिति की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तालुक	जिला	क्षेत्र		श्रेणी का नाम
				वन (रिज़र्व वन )	गैर वन	
1	देवधारी	बरशीताकली	अकोला	0.00	91.76	बरशीताकली
2	धनोरा	बरशीताकली	अकोला	396.59	132.60	बरशीताकली
3	पिम्पलशेदा	मालेगांव	वाशिम	0.00	130.64	मालेगांव
4	जनुना	मंगरूलपीर	वाशिम	473.47	186.67	करंजा
5	किन्हीराजा	मालेगांव	वाशिम	212.05	0.00	मालेगांव
6	येदशी	मंगरूलपीर	वाशिम	0.00	9.86	करंजा
7	पुर	मंगरूलपीर	वाशिम	0.00	319.86	करंजा
8	भूर	मंगरूलपीर	वाशिम	0.00	270.21	करंजा
9	वनोजा	मंगरूलपीर	वाशिम	402.66	103.46	करंजा
10	तंडाली	मंगरूलपीर	वाशिम	0.00	124.40	करंजा
11	वाघा कड	बरशीताकली	अकोला	0.00	45.41	बरशीताकली
12	वास्तापुर	बरशीताकली	अकोला	0.00	36.71	बरशीताकली
13	वाड	बरशीताकली	अकोला	0.00	13.90	बरशीताकली
14	जमभरून	बरशीताकली	अकोला	178.60	279.92	बरशीताकली
15	कोथाली	बरशीताकली	अकोला	0.00	177.87	बरशीताकली
16	सताली	बरशीताकली	अकोला	0.00	386.53	बरशीताकली
17	वारखेड	बरशीताकली	अकोला	0.00	108.04	बरशीताकली
<b>कुल</b>				<b>1763.37</b>	<b>2417.84</b>	<b>4181.21</b>

## उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।



**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2020

**S.O. 1017(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

**Draft Notification**

**WHEREAS**, Katepurna Wildlife Sanctuary is located in Akola and Washim district of Maharashtra and extends over an area of 73.69 square kilometres;

**AND WHEREAS**, the area has a high faunal and floral diversity representing biotic province “6 B-Central Plateau of the Deccan Peninsula Zone” and supports large number of wild animals, 75 bird species and other biodiversity such as reptiles, arthropods, fungi etc;

**AND WHEREAS**, the vegetation type of the area is classified as southern tropical dry deciduous forest and teak is the dominant tree species of the region associated with species such as achar, (*Buchnanania lanzan*, Spreng.), ain / saja (*Terminalia tomentosa*, W. & A.), ali (*Morinda tinctoria*), amaltas (*Cassia fistula*), amta (*Bauhinia malabarica*, Roxb.), aola, awala (*Emblica officinalis*, Linn.), apta (*Bauhinia racemosa*, Lamk.), arjuna (kahu) (*Terminalia bellerica*), beheda (*Terminalia belerica*, Boxb.), biba (bhilawa) (*Semecarpus anacardium*), bija (*Pterocarpus marsupium*), ber/bor (*Ziziphus mauritiana*, Lamk.), chandan (*Santalum album*), chichwa (*Albizia odoratissima*), chinch (*Tamarindus indica*), dahibaras (*Cordia macleodii*), dhaoda/ dhawada (*Anogeissus latifolia*, Wall.), dhaman (*Grewia tilifolia*, Wall.), dhoban (*Dalbergia paniculata*, Roxb.), ghoti/ghotbor (*Ziziphus zylopara*, Yilld.), haldu (*Adina cordifolia*), hiwar (*Acacia leucophloea*, Willd.), hingan (*Balanites cegyptia*, Del.), jamun (*Syzygium cumini*, Linns. Skeels.), karanj (*Pongamia pinnata*), karu (*Cassia siamea*), khair (*Acacia catechu*, willd.), kusum (*Schleichera oleosa*), lendia/sehna (*Lagerstroemia parviflora*, Roxb.), neem (*Azadirachta indica*, Linn.), moha (mahuwa) (*Madhuca longifolia*), moyen (mowai) (*Lannea coromandelica*), pipal (*Ficus religiosa*), palas (*Butea monosperma*, Lamk ), sag/sagwan/teak (*Tectona grandis*), saja (ain) (*Terminalia alata*), sirus (white) (*Albizia procera*), salai (*Boswellia serrata*, Roxb.), sissoo (*Dalbergia sissoo*), sitaphal (*Dalbergia sissoo*), tendu (*Diospyros melanoxylon*, Roxb.), tiwasa (tinsa) (*Ougeinia oojeinensis*), etc. and the major shrubs found in the protected area includes kuda (*Ischaemum pilosum*), bahawa (*Cassia fistula*), apta (*Bauhinia racemosa*), nirgudi (*Vitex negundo*), baharati (*Gymnosporia spinosa*).The forest consists of grasses like marvel (*Andropogon annulatus*), Gondel, Pawnya, (*Schima sulcatum*), etc;

**AND WHEREAS**, the major fauna recorded from the Katepurna Wildlife Sanctuary are hanuman langur (*Presbytes entells*, Dup.), jungle cat (*Felis chaus*, Guld.), panther (*Panthera pardus*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*, Geo.), striped hynae (*Hyaena hyaena*, Linn.), wolf (*Canis lupus*, Linn.), wild boar (*Sus scrofa*), sloth bear (*Melursus urisnus*), fulvous fruit bat (*Rousettus leschenaulti*, Des.), three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum*, Linn.), Indian field mice (*Mus booduga*, Gray.), common house rat (*Rattus rattus*, Linn.), bandicoot rat (*Bandicota indica*, Bech.), Indian porcupine (*Hystrix indica*, Kerr.), rufoustailed hare (*Lepus nigricollis* Cuv.), bluebull/ nilgai (*Boselaphus*

*tragocamelus*, Pall.), spotted deer (*Axis axis* Erx.), barking deer (*Muntiacus muntjak*, Zimm.), Indian wild boar (*Sus scrofa*, Linn.), Indian pangolin (*Manis srassicaudata*, Gray.), etc;

**AND WHEREAS**, major avifauna found in the Katepurna Wildlife Sanctuary are grey heron (*Ardea cinerea*), pond heron (*Ardeola grayii*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), little egret (*Egretta garzetta*), little cormorant (*Phalacrocorax niger*), open billed stork (*Anastomus oscitans*), white necked stork (*Ciconia episcopus*), black ibis (*Pseudibis papillosa*), brahmini duck (*Tadorna ferruginea*), blackwinged kite (*Elanus caeruleus*), shikra (*Accipiter badius*), grey partridge (*Francolinus pondicerianus*), common peafowl (*Pavo cristatus*), demoiselle crane (*Anthropoides virgo*), redwattled lapwing (*Vanellus indicus*), common sandpiper (*Tringar hypoleucos*), white breasted waterhen (*Amanrornis phoenicurus*), black-winged stilt (*Himantopus himantopus*), blue rock pigeon (*Columba livia*), Indian ring dove (*Streptopelia decaocto*), red turtle dove (*Streptopelia*), spotted dove (*Streptopelia chinensis*), green pigeon (*Treron phoenicoptera*), alexandrine parakeet (*Psittacula eupatria*), rose-ringed parakeet (*Psittacula krameri*), blossom-headed parakeet (*Psittacula cyanocephala*), brain fever bird (*Cuculus varius*), crow-pheasant (*Centropus sinensis*), pied kingfisher (*Ceryle rudis*), white-breasted kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), small blue kingfisher (*Halcyon atthis*), small green bee-eater (*Merops orientalis*), chistnut headed bee-eater (*Perops leschanawli*), Indian roller (*Coracias benghalensis*), hoopoe (*Upupa epops*), Indian nightjar (*Caprimulgus asiaticus*), common grey hornbill (*Tockus birostris*), coppersmith (*Megalaima haemacephala*), golden-backed woodpecker (*Dinopium benghalense*), yellow-fronted pied woodpecker (*Picoides mahrattensis*), pigmy woodpecker (*Picoides nanus*), red-winged bush lark (*Mirafra erythroptera*), crested lark (*Galerida cristata*), rufoustailed finch lark (*Ammomanes phoenicurus*), wiretailed swallow (*Hirundo smithii*), gray shrike (*Lanius excubitor*), bay-backed shrike (*Lanius vitatus*), rufous-backed shrike (*Lanius schach*), black drango (*Dicrurus adsimilis*), black-headed myna (*Sturnus pagodarim*), pied myna (*Sturnus contra*), Indian myna (*Acridotheres*), Indian tree pie (*Dendrocitta vagabunds*), lora (*Aegithina tiphia*), red-vented bulbul (*Pycnonotus cafer*), magpie robin (*Copsychus saularis*), Indian robin (*Saxicoloidesfulicata*), black redstart (*Phoenicurus*), brown rock chat (*Cersomela fusca*), jungle babbler (*Turdoides striatus*), paradise flycatcher (*Terpsiphone paradise*), white-spotted fantail flycatcher (*Phipidura albicollis*), tailor bird (*Orthotomus sutorius*), dull-green leaf warbler (*Phylloscopus trochiloides*), thick-billed warbler (*Acrocephalus aedon*), yellow-headed wagtail (*Motacilla citerola*), pied wagtail (*Motacilla cinerea*), white or pied wagtail (*Motacilla alba dukhunensis*), yellow wagtail (*Motacilla flava*), purple-rumped sunbird (*Nectarnia zeylonica*), purple sunbird (*Nectarnia asiatica*), white throted munia (*Lonchura malabarica*), black-headed bunting (*Emberiza melonocephala*), spotted owlet (*Athene brama*), scarlet minivet (*Pericrocotus flammeus*), etc;

**AND WHEREAS**, the species of butterflies and spiders available in the Sanctuary are spot swordtail (*Pathysa nomius*), crimson rose (*Tros hector*), common rose (*Tros aristolochiae*), blus mormon (*Papilio polymnestor*), common mormon (*Papilio polytes*), the lime butterfly (*Papilio demoleus*), common mime (*Chilasa clytia*), common jezebel (*Delias eucharis*), the pioneer (*Anaphaeis aurota*), white orange tip (*Ixias marianne*), yellow orange tip (*Ixias pyrena*), great orange tip (*Hebomoia glaucippe*), common gull (*Cepora nerissa*), common emigrant (*Catopsilia crocale*), mottled emigrant (*Catopsilia pyranthe*), spotless grass yellow (*Terias laeta*), common grass yellow (*Terias hecabe*), common acacia blue (*Surendra quercetorum*), common Indian red flash (*Rapala melampus*), the common pierrot (*Castalius rosimon*), gram blue (*Euchrysops cnejus*), common cerulean (*Jamides celeno*), grass jewel (*Freyeria trochilus*), common hedge blue (*Acetolepis puspa*), the common bush brown (*Mycalesis perseus*), dark band bush brown (*Mycalesis mineus*), common fivering (*Ypthima baldus*), nigger (*Orsotrioena medus*), tawny rajah (*Charaxes polyxena*), black rajah (*Charaxes fabius*), baronet (*Euthalia nais*), thecommander (*Moduza procris*), the great eggfly (*Hypolimnas bolina*), danaid eggfly (*Hypolimnas misippus*), the yellow pansy (*Percis hierta*), gray pansy (*Percis atlites*), angledcastor (*Ergolis ariadne*), tawny coster (*Telchinia violae*), plain tiger (*Danaus Chrysippus*), the common crow (*Euploea core*), common banded awl (*Hasora alexis*), common awl (*Hasora badra*), dark palm dart (*Astychus pythias*), grass demon (*Udaspes folus*), the Indian skipper (*Spialia galba*), common redeye (*Matapa aria*), common dartlet (*Oriens goloides*), blank swift (*Caltoris kumara*), wall orb (*Araneus*

*bilunifer*), leaf retreat orb (*Neoscona rumfi*), gaint wood spider (*Nephila maculata*), black wood spider (*Nephila kuhlii*), yellow club (*Chiracanthium melanostoma*), ashy social spider (*Stegodyphus sarasinorum*), funnel wolf (*Hippasa agelenoides*), tunnel wolf (*Lycosa indagatrix*), zebra jumper (*Plexippus paykulli*), long-legged straw (*Eucta javana*), etc;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Katepurna Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clauses (v), and (xiv), of sub-section (2), and sub-section (3), of Section 3 of the Environment (Protection), Act 1986 (29 of 1986), (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3), of rule 5 of the Environment (Protection), Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero kilometre to 2.50 kilometres around the boundary of Katepurna Wildlife Sanctuary, in Akola and Washim districts in the State of Maharashtra as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely: -

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1), The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero kilometre to 2.50 kilometres around the boundary of Katepurna Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 41.81 square kilometres.

*'Zero' extent of Eco-sensitive Zone in some private land areas is due to wall and bank of Katepurna dam on the northern side of Katepurna Wildlife Sanctuary, Akola – Mangrulpir and Devdari - Dhanora road on the western side of the boundary of Katepurna Wildlife Sanctuary, and boundary of Pur village on the south-eastern side of the Katepurna Wildlife Sanctuary.*

- (2) The boundary description of Katepurna Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the Katepurna Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC and Annexure-IID**.
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Katepurna Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
- (5) The list of villages and their legal status falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IVA and Annexure-IVB**.

**2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
  - (i) Environment;
  - (ii) Forest and Wildlife;
  - (iii) Agriculture;

- (iv) Revenue;
  - (v) Urban Development;
  - (vi) Tourism;
  - (vii) Rural Development;
  - (viii) Irrigation and Flood Control;
  - (ix) Municipal;
  - (x) Panchayati Raj;
  - (xi) Maharashtra State Pollution Control Board; and
  - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:
- Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-
- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - (iii) small scale industries not causing pollution;
  - (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
  - (v) promoted activities given under paragraph 4:



Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

**(2) Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

**(3) Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

**(4) Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage

conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
  - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
  - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.-** Bio Medical Waste Management shall be as under:-
  - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
  - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the

Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**(15) Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

**(16) Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Wind mills and turbines.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fencing premises of new hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	all activities.	
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Akola	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of District Collector, Washim	Member;
(iii)	Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Akola and Washim	Member;
(iv)	A representative of non-governmental organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case	Member;
(v)	One expert in Ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case	Member;
(vi)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(vii)	Town Planning officer, Akola & Washim	Member;
(viii)	Deputy Conservator of Forests, Akola Forest Division	Member-Secretary.

**6. Terms of reference. –** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone,

except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
  - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or Hon'ble High Court or the Hon'ble National Green Tribunal.

[F. No. 25/36/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


#### ANNEXURE- I

#### BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE AROUND KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE MAHARASHTRA

Direction	Boundary description
<b>North</b>	Akola Forest Division – 0 to 2500 Mtrs Forest & Non Forest Area Along Wastapur approach road, Katepurna reservoir Dam line, boundary of Compt No 134.
<b>East</b>	Akola Forest Division – 0 to 2500 Mtrs Forest & Non Forest Area Eastern side of S no:- 43,23,24,47,35,36 of Wastapur village S No 9 of Wai village. Along Mahan to Shelu road, boundary of Compt No 120, Eastern side village boundary of village Bhur and Pur, eastern side of S No 19 of Yedashi village .
<b>South</b>	Akola Forest Division – 0 to 2500 Mtrs Forest & Non Forest Area Boundary of Compt No 116,110,109, along Jogaldary to Pimpalshenda road & along Pimpalshenda Nalah.
<b>West</b>	Akola Forest Division – 0 to 2500 Mtrs Forest & Non Forest Area Along Katepurna river, boundary of Compt No 125, along Deodari Nalah, along Deodari- Varkhed- Kothali – Jambharun – Chafululla road.

ANNEXURE- IIA


MAP SHOWING FOREST AND NON FOREST AREA OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS





**ANNEXURE- IIB**

**MAP SHOWING FOREST AND NON FOREST AREA OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**




**Legend**

- WILDLIFE SANCTUARY BOUNDARY
- ESZ BOUNDARY
- FOREST AREA IN ESZ
- NON FOREST AREA IN ESZ
- SANCTUARY CO-ORDINATE
- ESZ CO-ORDINATE
- VILLAGE CO-ORDINATE

**ANNEXURE- IIC**


**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**





ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



**ANNEXURE-III****TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY**

<b>Node Point</b>	<b>Longitude</b>	<b>Latitude</b>
1	77:08:12.90	20:27:55.20
2	77:08:24.30	20:26:39.50
3	77:08:54.30	20:24:33.60
4	77:08:33.60	20:22:49.30
5	77:08:23.70	20:22:12.30
6	77:09:45.00	20:21:46.90
7	77:11:31.07	20:22:12.80
8	77:11:45.70	20:23:58.30
9	77:10:59.19	20:25:58.08
10	77:10:29.30	20:27:49.10

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

<b>Node Point</b>	<b>Longitude</b>	<b>Latitude</b>
A	77:09:56.80	20:28:40.30
B	77:09:02.70	20:29:06.50
C	77:08:30.60	20:28:54.08
D	77:07:42.10	20:29:04.70
E	77:07:37.90	20:28:38.10
F	77:07:38.90	20:27:33.18
G	77:08:06.80	20:26:19.30
H	77:08:32.90	20:25:10.70
I	77:08:16.70	20:23:53.08
J	77:07:01.30	20:23:51.54
K	77:07:25.50	20:22:52.80
L	77:08:13.70	20:21:48.70
M	77:08:42.10	20:21:13.00
N	77:09:37.20	20:20:49.80
O	77:09:46.50	20:21:23.80
P	77:11:12.80	20:21:43.30
Q	77:12:43.20	20:21:44.10
R	77:12:10.40	20:22:38.70
S	77:12:42.60	20:23:15.30
T	77:12:06.50	20:24:40.10
U	77:11:48.90	20:25:26.18
V	77:10:50.10	20:27:23.30
X	77:10:50.60	20:28:13.50
Y	77:10:23.40	20:28:39.60

**ANNEXURE-IVA****LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sr. No	Name of Village	Tahasil	District	Node Point	Longitude	Latitude
1	Deodari	Barshitakali	Akola	a	77:08:42.90	20:26:06.00
2	Dhanoral	Barshitakali	Akola	b	77:08:46.60	20:24:02.80
3	Pimpalshenda	Malegaon	Washim	c	77:08:03.30	20:22:06.40
4	Januna	Mangrulpir	Washim	d	77:11:06.00	20:22:11.70
5	Kinhiraja	Malegaon	Washim	e	77:09:48.40	20:20:02.20
6	Yedashi	Mangrulpir	Washim	f	77:12:38.20	20:22:05.40
7	Pur	Mangrulpir	Washim	g	77:12:11.70	20:23:56.10
8	Bhur	Mangrulpir	Washim	h	77:12:46.40	20:23:15.90
9	Vanoja	Mangrulpir	Washim	i	77:13:10.30	20:24:54.20
10	Tandali	Mangrulpir	Washim	j	77:11:39.00	20:26:07.50
11	Wagha Kd	Barshitakali	Akola	k	77:11:05.00	20:26:35.00
12	Vastapur	Barshitakali	Akola	l	77:10:53.10	20:28:01.50
13	Wai	Barshitakali	Akola	m	77:10:01.50	20:28:37.30
14	Jambharun	Barshitakali	Akola	n	77:07:57.20	20:28:34.70
15	Kothali	Barshitakali	Akola	o	77:07:53.40	20:27:22.40
16	Satali	Barshitakali	Akola	p	77:08:41.90	20:28:25.30
17	Warkhed	Barshitakali	Akola	q	77:08:24.20	20:27:00.00

**ANNEXURE-IVB****LEGAL STATUS OF THE VILLAGES LISTED UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

S. No.	Name of Village	Taluka	District	Area in ha.		Name of Range
				Forest (Reserve forest)	Non forest	
1	Deodhari	Barshitakali	Akola	0.00	91.76	Barshitakali
2	Dhanora	Barshitakali	Akola	396.59	132.60	Barshitakali
3	Pimpalshenda	Malegaon	Washim	0.00	130.64	Malegaon
4	Januna	Mangrulpir	Washim	473.47	186.67	Karanja
5	Kinhiraja	Malegaon	Washim	212.05	0.00	Malegaon
6	Yedashi	Mangrulpir	Washim	0.00	9.86	Karanja
7	Pur	Mangrulpir	Washim	0.00	319.86	Karanja
8	Bhur	Mangrulpir	Washim	0.00	270.21	Karanja
9	Vanoja	Mangrulpir	Washim	402.66	103.46	Karanja
10	Tandali	Mangrulpir	Washim	0.00	124.40	Karanja
11	Wagha Kd	Barshitakali	Akola	0.00	45.41	Barshitakali

12	Wastapur	Barshitakali	Akola	0.00	36.71	Barshitakali
13	Wai	Barshitakali	Akola	0.00	13.90	Barshitakali
14	Jambharun	Barshitakali	Akola	178.60	279.92	Barshitakali
15	Kothali	Barshitakali	Akola	0.00	177.87	Barshitakali
16	Satali	Barshitakali	Akola	0.00	386.53	Barshitakali
17	Warkhed	Barshitakali	Akola	0.00	108.04	Barshitakali
<b>Total</b>				<b>1763.37</b>	<b>2417.84</b>	<b>4181.21</b>

**ANNEXURE –V****Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.